RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारतीय कर प्रणाली

[1]TarangNagrani & [2]Dr. Sandhya Bohre

[1]*Research scholar, MLB college, Gwalior (India)*
[2]*Professor, MLB college, Gwalior (India)*

किसी राज्य द्वारा व्यक्तियो या विविध संस्था से जो अधिभार या घन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हे। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएँ भी तरह–तरह के कर लगातें है। कर प्रायः धन के रूप में लगाया जा सकता है कर दो तरह के हो सकते है– प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। एक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है। वही इसे रूप में भी समझा जा सकता है।

भारत के प्राचीन श्रषि (समाजशास्त्री) कर के बारे में यह मानते थे कि वही कर–संग्रहण–प्रणाली आदर्श कही जाती है जिससे करदाता व कर संग्रहणकर्ता दोंनो को कठिनाई न हो। उन्होने कहा कि कर–संग्रहण इस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार मधुमक्खी द्वारा पराग संग्रहण किया जाता है। इस पराग सग्रहण में पुष्प भी पल्लवित रहते है और धुमक्खी अपने लिये शहद भी जुटा लेती है।

प्रत्यक्ष कर :–प्रत्यक्ष कर वो होते है जो सरकार आपकी कमाई के हिस्से के रूप में सीधे आप से वसूल लेती है जैसे Income tax Property tax, Corporate tax, Capital Gain tax आदि। इन्हे प्रत्यक्ष कर या Direct Tax इसलिए कहते है क्योकि इन्हे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है इन्हें मरने वाला आगे चलकर किसी और पर उसका भार किज्तं दमित नही कर सकता। आर्थिक भाषा में कई तो कराधात और करापात, दोंनो समान व्यक्ति पर लेता है। इनकमटैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ऐसे ही टैक्स है।

अप्रत्यक्ष कर :– ये वो कर होते है जिन्हे सरकार आप से अप्रत्यक्ष तोरे पर वसूल करती है मतलब यह कि सरकार ने कर किसी और से लिया, फिर उस देने वाले ने आगे चलकर किसी और से कर की भरपाई करली। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल करके वसूले जाते है।

Excise Duty, Service Tax, Entertainment Tax आदि अप्रत्यक्ष कर है हाल ही मे सरकार द्वारा नया कर जी.एस.टी भी अप्रत्यक्ष कर में शामिल है आर्थिक भाषा में कहें तो अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात दोंनो अलग–अलग व्यक्ति पर होता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर को समझने के लिए स्थितियों को थोड़ा उलटकर देखते है। आय कर प्रत्यक्ष कर है और सर्विस कर अप्रत्य कर है आप कर भी आप ही अदा करते है और सेवा कर भी आखिरकार आप की जेब से ही किताब आपको खुद ही सरकार को देना पड़ता है। को नही देते। इसका हिसाब–किताब उस सेवा देने वाले को देना पड़ता है।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर

आयकर :–जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह कर लोगों की आय पर लगाया जाता है व्यक्ति जो भी कमाते है, उसमें से एक तय हिस्सा सरकार उन से कर के रूप में ले लेती है इसे केन्द्रीय सरकार की ओर से लगाया और वसूला जाता है लेकिन Finance Commission की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारो के बीच बंटा जाता है भारत मे, बहुत कम आय वाल लोंगो को आय कर के दायरे से बाहर रख गयाहै। इसके उपर थोड़ा ज्यादा आय वालो से कुछ प्रतिशत मे और बहुत ज्यादा आय वालो से ज्यादा प्रतिशत मे आय कर लिया जाता है।

किस Level की कमाई होने पर कितना दिखा टैक्स लिया जएगा, इसकी घोषणा सरकार हर साल Financial year शुरू होने से पहले बजट मे Tax slab के लोगों के लिए अलग होते है जैसे वृद्ध नागरिक, कम्पनी फर्म आदि के लिए अलग–अलग Tax slab Rates होते है।

2017–18 आयकर Rate सामान्य व्यक्तियो के लिये।

1	2.5 लाख रूपये से कम पर	टापकी आय के 2.5 लाख रूपये तक के हिस्से पर कोई कर नही बनेगा
2	आय के 2.5 लाख से 5 लाख रू. तक के हिस्से पर	कुल कर योग्य आय मे से 2.5 लाख नकालने के बाद 5% उपर 5 लाख रूपये तक का जोभी हिस्सा बना उस का 5%
3	आय के 5 से 10 लाख रूपये तक के हिस्से पर	कुलकर योग्य आय ने से 5 लाख रू. निकालने के बाद जोभी हिस्सा बचा उस का 20%
4	आप के 10 लाख रूपए से उपर बढे हुए हिस्से पर	कुल कर योग्य आय में से 10 लाख रूपए निकालने के बाद उपर का जितनी भी हिस्सा बचा, उसका 30%

आय कर का 10: (कुल आय 50 लाख से 1 करोड़ रूपए होने पर)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

आय कर का 15% (कुल आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने)

Educational: कुल आयकर सरचार्ज का 3: आय करमें शामिल 2 come source आय कर की गणना करते वक्त निम्नलिखि Resources से हुई आय को आपकी कुल आय मे शामिल किया जाता है।

- सेलरी के रूप मे हुई आमदनी
- हाउसप्रॉपर्टी से हुई आमदनी
- बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होने वाला लाभ
- कैपिटलगेन्स के रूप मे हुई आमदनी
- अन्य स्त्रोतो से हुई आमदनी

प्रमुख अप्रत्यक्ष कर

जी एस टी (Goods and Servies Taxes-GST) जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर देश भर में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसे पहले केंद्र और राज्य सरकारो की ओर से लागू तीन दर्जन से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर को हटा कर लागू किया गया है। मतलब यह कि वस्तुओ और सेवाओ पर अब पहले लगने वाले ढेरों करो की बजाय अब अकेला जीएसटी कर लगना है। GST में जो कर मिलाए गए है, उनमे से प्रमुख करो के नाम नीचे सारणी में दिय`है।

केन्द्र के वो कर जिनकी जगह जी एस टी लेगा	राज्यो के वो कर जिनकी जगह जीएसटी लेगा
1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1. प्रादेशिक कर
2. विशेष महत्व वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2. केन्दीय विकोकर
3. वस्त्र एवंवस्त्र उत्पादों पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	3. क्रय कर
4. कस्टम शुल्क	4. विलासिता कर
5. सेवाकर उपकर एवं अधिभार	5. प्रवेश कर
	6. मनोरंजन कर
	7. विज्ञापनकर
	8. लॉटरी, सदा, जुए आदि पर कर
	9. प्रादेशिक उपकर एवं अधिभार

GST को तीन प्रकारो मे बॉटा गया है।

1. CGST यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवांकर। किसी राज्य के अंदर, उसी राज्य के दो पक्षो के बीच सौदा होने पर केन्द्र सरकार की ओर से CGST यानी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर वसूला जएगा कर का यह भाग केन्द्र सरकार को मिलेगा।

2. SGST यानी प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर किसी राज्य के अन्दर, उसी राज्य के दो पक्षो के बीच सौदा होने पर वहॉ की राज्य सरकार की ओर से SGST यानी प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। कर का यह भाग राज्य सरकार को मिलेगा।

3. ISGT यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवाकर–दो अलग–अलग राज्यों के दो पक्षों के बीच सौदा होने पर केन्द्र सरकार की ओर से IGST यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। कर का यह भाग आगे चलकर केन्द्र और राज्य सरकार बीच बट जाएगा।

GST की अन्य प्रमुख विशेषताएं–

सामान की खरीदा रीपर GST कर की गणना उसको MRP कें आधार पर की जाएगी। सेवा के मामले में यह उसकी Market Value या उसके लिए चुकाई गई कीमत पर निर्भर करेगा। वस्तुओ के मामले में अगर Exchange या Discont का मामला हो तब भी MRP के आधार ही GST लगेगा।

उत्पादन और बिक्री के बजाय उपभोग पर कर–GST के पहले जो Tax लगते थे, उनमें वस्तु या सेवा की बेचने वाले को अदा करने पड़ते थे। GST में इसका उल्टा कर वस्तु और सेवा को खरीदने वाले को देना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या सेवा देने वाले की ही होती है सौदा करते वक्त दुकानदार सामान के दाम के साथ GST को अलग से लिखकर रसीद देगा खरीददार को दाम और GST की मिलाकर पूरा पैसा देना होगा।

जीएसटी की पॉच अलग–अलगदरें :–

सामान्य जीवन के लिए Utility और Importance के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर की GST अलग–अलग दरें निर्धारित की गई है। ये हैं 5%, 12%, 18%, और 28%। अति आवश्यक वस्तुओ (जैसे कि अनाज, दूध और ताजी सब्जिया) पर Zero प्रतिशत, आवश्कय वस्तओ पर 5%, सामान्य वस्तुओ पर 12%, इसके बाद कम जरूरी और विलासी वस्तुओ (जैसे कि AC फ्रीज Macup) पर 18% या 28% GST लगाकर इसे जनता के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश की गई हैं,

निष्कर्ष–

प्रतयक्ष और अप्रत्यक्ष करो में सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर शामिल होते है। प्रत्यक्ष करो में शामिल करो को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नही किया जा कसता है, अतः अप्रत्यक्ष कर दूसरी तरह का कर है। जिसे किसी अन्य व्यक्ति की स्थानांतरित किया जा सकता है प्रारंभिक कर निर्माता या सेवा प्रदाता पर लगाया जाता है, जे फिर उपभोकताओ पर उच्च मूल्यो के रूप में स्थानांतरित हो जाता है।

दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण घटक है अैर परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था इन्ही घटकों पर

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

निर्भर करती है जीएसटी के लागू होने से अप्रत्यक्ष करो में भिन्नता भविष्य मे कम हो जाएगी।

सन्दर्भ सूचि

- अप्रत्यक्ष कर July 15,2018 पद अवेयरनेस
- वस्तु एवं सेवाकर एक संक्षिप्त परिचय
- भारतीय करव्यवस्था

© RRIJM 2015, All Rights Reserved